

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र आदेश

संख्या-3/पेन-01-40/2018-


357(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक 25/2/2019

विभागीय पत्रांक-344(3) दिनांक 20.02.2018 के द्वारा डा0 बिनय स्वरूप, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना को 300(तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस बीच अव्यवहृत उपार्जित अवकाश का समतुल्य नगद राशि के भुगतान के संबंध में वित्त विभागीय संकल्प संख्या को0प्र0/विविध-16 दिनांक 02.01.2019 निर्गत हुआ है। अतएव विभागीय पत्रांक 344(3) दिनांक 22.02.2018 में कंडिका-5 निम्नवत अन्तःस्थापित किया जाता है:-

" 5. एतदसंबंधी प्राधिकार पत्र अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार (डी0डी0ओ0 कोड एच0ई0ए0-007) के नाम से निर्गत किया जाये।

शेष यथावत रहेगा।

  
(जगदीश कुमार)  
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-

357(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक :

25/2/19

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा0 बिनय स्वरूप, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3,8 एवं 9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी

श्री राजेंद्र प्रसाद  
वर्गवी पार्थीव  
श्री राजेंद्र प्रसाद आर्य समाज शिक्षण संस्थेचे निदेशात्मक  
पत्रिका अहिले

11

9430007675